संख्या—1023 / 71—2—17—4 / 2017

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग—2 लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषयः—शैक्षणिक सत्र 2017—18 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—905 / 71—2—17—4 / 2017, दिनांक 27 मार्च, 2017 के क्रम में आपके पत्र संख्या—एमई—3 / 2017 / 4856, दिनांक 27.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2017—18 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम0एस0 / एम0डी0 / एम0डी0एस0 / पी0जी0 डिप्लोमा) में प्रवेश हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 27—3—2017 के सुसंगत प्रस्तरों जिनका उल्लेख निम्नलिखित तालिका के कालम—02 में अंकित है, को कालम—03 में अंकित प्रस्तावानुसार संशोधित / परिमार्जित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः—

शासनादेश संख्या—905 / 71—2—17—4 / 2017 दिनांक 27.03.2017 में निहित व्यवस्था	प्रस्तावित संशोधन, जिनके आधार पर काउंसिलिंग की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।
2(ख) **(Non Eligible)** ऐसे छात्र, जिन्होंने एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 फाइनल परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों / चिकित्सा विश्वविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह होगें। (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की काउंसिलिंग मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल वाद संख्या—6783 / 2006 के अंतिम निर्णय के अधीन व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वाद संख्या—1324 / 2005 में लिये निर्णय दिनांक 05.01.2006 के अनुसार की जायेगी।)	2(ख) **(Non Eligible)** ऐसे छात्र, जिन्होने एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 फाइनल परीक्षा क्रमशः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है व जो यू0पी0 नीट पी0जी0—2017 की काउंसिलिंग हेतु आन लाइन पंजीकरण के माध्यम से स्टेट मेरिट हेतु पंजीकृत होगे, वे क्रमशः अपने ही विश्वविद्यालय के संस्थागत **(Institutional)/State quota** में प्रवेश हेतु अर्ह होगें, परन्तु राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थान / विश्वविद्यालय हेतु अर्ह नहीं होगें। प्रदेश के राजकीय मेडिकल / डेण्टल कालेजों / संस्थान / विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेज / विश्व विद्यालय एवं प्रदेश के बाहर से नीट पी0जी0 2017 से उत्तीर्ण अभ्यर्थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगें। (अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की काउंसिलिंग मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल वाद संख्या—6783 / 2006 के अन्तिम निर्णय के अधीन व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के वाद संख्या—1324 / 2005 में लिए निर्णय दिनांक 05.01.2006 के अनुसार की जायेगी)
4(बी) काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों से काउंसिलिंग शुल्क रू0 1,000 / मात्र एक बार लिया जाएगा।	विलुप्त किया जाना है।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

31/03/17

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

SO/Go /Meet/2016

संख्या– 1023(1)/71–2–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, कंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. कुलसचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ।
7. कुलसचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।